संख्या-07/2022/I/151636/2022/46-1002(099)/4/2021

प्रेषक,

डॉ. रुपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2022

विषय-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष Enhancing Sugar Cane Production in U.P. कार्यक्रम हेतु रू.69.60 लाख के व्यय/उपयोग की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1620/C/रा.कृ.वि.योजना/विकास/21-22, दिनांक 29.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या:257/12-3-2022, दिनांक 28 मार्च, 2022, के द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के अनुक्रम में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा **'इन्हांसिंग शुगरकेन प्रोडेक्शन इन यू.पी.'** कार्यक्रम हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)-0213-गन्ना उत्पादन की योजनाए-27-सब्सिडी के अन्तर्गत रू.69.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या: 257/12-3-2022, दिनांक 28 मार्च, 2022 के माध्यम से अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि के सापेक्ष इस शासनादेश के संलग्नक में, **क्षेत्र प्रदर्शन** हेतु रू.60.57 लाख एवं **माइक्रोन्यूट्रीयेन्ट्स वितरण** हेतु रू.9.03 लाख, दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में गन्ना विकास विभाग हेतु कुल **धनराशि रू.69.60 लाख (रुपये उनहत्तर लाख साठ हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तो के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति /अनुमति प्रदान की जाती हैः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या: 257/12-3-2022, दिनांक 28 मार्च, 2022 में दिये गये शर्तों/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं/ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/ 2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2331सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1492 सी.डी./ 46-3-23-1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो (गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2021-22 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/ दृविरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

(4) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागों के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ. रुपेश कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-07/2022/I/151636/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ.प्र. शासन।
2. अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ.प्र.।
3. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
4. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर।
5. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
6. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ.प्र.।
7. विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी **(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र. **(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
10. नोडल अधिकारी(आर.के.वी.वाई.), उ.प्र. कृषि भवन लखनऊ।
11. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
12. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ. रुपेश कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-07/2022/I/151636/2022, का संलग्नक

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना के सापेक्ष इन हैन्सिंग सुगर केन प्रोडेक्सन इन यू.पी. हेतु 69.60 लाख रु0 का जनपदवार/कार्यक्रमवार फांट

(धनराशि रुपये में)

क्र० सं०	नाम जनपद	क्षेत्र प्रदर्शन	माईक्रोन्यूट्रियेन्ट	कुल योग
		सामान्य	सामान्य	
1	2	3	4	5
1	सहारनपुर	1575000	36000	1611000
2	मुजफ्फरनगर	2250000	211200	2461200
3	शामली	405000	0	405000
	योग मण्डल	**4230000**	**247200**	**4477200**
4	मुरादाबाद	90000	42000	132000
5	रामपुर	270000	120000	390000
6	अमरोहा	270000	120000	390000
7	बिजनौर	495000	180000	675000
8	सम्भल	90000	24000	114000
	योग मण्डल	**1215000**	**486000**	**1701000**
9	बलरामपुर	495000	150000	645000
	योग मण्डल	**495000**	**150000**	**645000**
10	मऊ	117000	19800	136800
	योग मण्डल	**117000**	**19800**	**136800**
	योग प्रदेश	**6057000**	**903000**	**6960000**

(रुपये उनहत्तर लाख साठ हजार मात्र)

(डॉ. रुपेश कुमार)
विशेष सचिव।

http://sh gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।